

पट्टा आवंदन प्रार्थना पत्र

सरपंच
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
जिला -

विषय :- मेरे कब्जाशुदा (पुश्तैनी) मकान का पट्टा जारी करने बाबत् / कब्जाशुदा भूमि का पट्टा चाहने बाबत्

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत है कि मैं श्री/ श्रीमती पिता / पति जाति वार्ड नं ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। मेरा आबादी भूमि में लगभग वर्षों से रिहायशी मकान/ कब्जाशुदा आबादी भूमि है, जिसकी नाप एवं पास पड़ोस निम्नानुसार है :-

नाप

सीमाएं

पूर्व में
पश्चिम में
उत्तर में
दक्षिण में

मेरे उपरोक्तानुसार मकान / भूखण्ड हैं जो विवाद रहित हैं, जिस पर अन्य किसी की उज्रदारी नहीं है। मुझे पट्टे की आवश्यकता है और इससे पूर्व मैंने/मेरे परिवार इस मकान/भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं करवाया है।

अतः पट्टा जारी करने की कृपा करावें।

संलग्न :-

1. 100रु के स्टाम्प पर शपत्र
2. राशन कार्ड प्रति
3. परिचय पत्र की प्रतियों में
4. नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में
5. स्थल का फोटोग्राफ

हस्ताक्षर

नाम
पिता / पति
निवासी वार्ड नं. ग्राम.....
ग्राम पंचायत.....

सरवर्क

पंचायत पं. समिति जिला

दायर संख्या सीमाह

दिनाक दायर

दिनाक फैसला

अनावना

.....

.....

.....

.....

..... मुस्तगीस / दिवादी
डिकीदार

..... मुल्जिम / विवाद
मदयून डिकी

इल्लत / दावा
इजराय

सूची कागजात

क. सं.	कागजात का ब्यौरा	किता.	योग	हस्ताक्षर कागजात लेने वाले के
1	सरवर्क			
2	आवेदन पत्र			
3	नजरी नक्शा			
4	आज्ञायो की सूची			
5	मौका निरीक्षण रिपोर्ट			
6	पड़ोसी के बयान			
7	प्ररूप-22 (देखिये नियम 14) आपत्ति नोटिस			
8	शपत्र पत्र मय नौटेरी			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

मकान/प्लोट मालिक का नाम व पता :-

श्री
पुत्र श्री
जाति
निवासी ग्राम
ग्राम पंचायत
पंचायत समिति
तहसील
जिला

मकान/प्लोट के पड़ोस :-


उत्तर :-

दक्षिण :-

पुर्व :-

पश्चिम :-

—: नजरी नक्शा —:



नाप -

दिनांक

हस्ताक्षर प्रार्थी

कार्यालय ग्राम पंचायत पं. स. जिला - जोधपुर

आशाओं की सूची

दिनांक	कार्यवाही का विवरण	आगामी सुनवाई की दिनांक	हस्ताक्षर
	<p>प्रार्थी श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जाति..... निवासी..... ने पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 के अंतर्गत पंचायत आबादी भूमि जो गाँवमे स्थित है का पुराना पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान है जिसका पट्टा बनाने का निवेदन किया है। साथ मेंरु आवेदन शुल्करु नक्शा फीस व.....रु मौका निरिक्षण फीस नियम 68 के अनुसार पंचायत रसीद नं. दिनांकके द्वारा जमा करवाए है। एस पर सदन ने सर्व सहमती से निर्णय लिया कि प्रार्थी का प्राथना पत्र मिसल प्रपत्र 21 रजिस्टर में दर्ज कर नक्शा बनाते समय सरपंच च एक बार्ड पंच को साथ रखा जावे।</p>		
	<p>मिसल स.....वर्षश्री/श्रीमती..... पुत्र...../पुत्री/पत्नी श्री..... जातिनिवासीकी नक्शा बना कर सदन में प्रस्तुत की गई। एस पर सदन ने पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 63 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत उपरोक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए नियम 146 के अनुसार प्रसतावित स्थल निरिक्षण हेतु वार्ड पंचों की समिति नियुक्त की गई। इस समिति में वार्ड पंच :- (1) श्री..... (2) श्री..... (3)श्री..... को नियुक्त किया गया व मिसल वार्ड पंच श्री को सौपी गई समिति के पंच आगामि बैठक में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसहमति से लिया गया।</p>		

मि.स.स.

पुत्र/पुत्री/पत्नि

निवासी

की सदन में

पेश हुई पंचायत बैठक दिनांक के प्रस्ताव सख्खा
 के नियमानुसार पंचायती राज नियम 140(2) के
 अनुसार गठित स्थल निरीक्षण समिति ने मौका जाँच कर
 नियम 146(3) के अनुसार राय दी है कि प्रस्तावित पुश्तैनी
 कब्जा सुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने पर इसका नियम 3(क)
 के अनुसार ग्रामीणों के आने जाने की सुख-सुविधाओं को
 प्रभावित नहीं करता है। इसी नियम के उपनियम के 3(ख)
 के अनुसार यह विक्रय अन्य व्यक्तियों के सुखाचार सम्बन्धि
 अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है तथा 3(ग) के अनुसार
 यह विक्रय गाँव की स्वच्छता सुन्दरता को प्रभावित नहीं
 करता है। तथा उक्त भूखण्ड पर आवेदनकर्ता का ही कब्जा
 है। अन्य किसी का कब्जा नहीं है। प्रस्तावित भूखण्ड का
 सतम्बन नक्शा माप के अनुसार सही है। भूखण्ड पर प्राथी
 का पुश्तैनी मकान 50 वर्षों के दौरान बना हुआ है। मकान
 पर प्राथी का पुश्तैनी कब्जा है। पंचायत बैठक में इस पर
 विस्तृत विचार विमर्श किया गया। चूँकि भूखण्ड पर प्राथी
 का पुराना मकान बना है फिर भी पारदर्शिता के लिए नियम
 148 के अनुसार प्रपत्र 22 में सात दिन की आपत्तियां
 आमन्त्रित सूचना जारी की जाए।

कोई आपत्ति न आने पर बाद मियाद इस भूखण्ड का
 पट्टा बनाया जाने का निर्णय सर्वसहमति से लिया गया।

मि.स.स. — वर्ष — श्री/श्रीमती

पुत्र / पुत्री / पत्नि

जाति

निवासी

की सदन में पेश

हुई। पंचायत बैठक दिनांक प्रस्ताव स.

के निर्णय अनुसार 148 के अंतर्गत प्रपत्र 22 में प्रस्तावित
 पुश्तैनी कब्जा सुदा भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु पंचायत पत्र
 क्रमांक दिनांक को आपत्तियां आमन्त्रित

सूचना जारी की गई है। पंचायत के श्री
 ने गाँव के सदस्य स्थान पर दिनांक को 2 मीत
 बरान के समक्ष सूचना चर्चा की है। इस हेतु इस सूचना
 की दूसरी प्रति पर उनके हस्ताक्षर करा चर्चा करने को
 प्रमाणित किया है तथा मकान में भी हस्ताक्षर किये हैं।

पुश्तैनी कब्जा का पट्टा बनाने के संकल्प में लिखित नों
 आर्पित पेश नहीं की है। इसके बाद सदन द्वारा विचार
 विमर्श कर सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि प्राथी का
 पुश्तैनी कब्जा/सुद मकान 50 वर्षों के दौरान बना हुआ है
 फिर भी 2 गाँव बरानो के बयान व प्राथी से 100/- रु का
 शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद पट्टे की राशि नियम-----के
 अंतर्गत -----/- रु जमा कर पट्टा बनाया जाने का प्रस्ताव
 सदन द्वारा विचार विमर्श बाद सर्व सहमति से पारित किया
 गया।

मिसल स. --- वर्ष-----श्री/श्रीमती-----
 पुत्र/पुत्री/पत्नि -----जाति-----
 निवासी -----की सदन में पेश हुई
 प्राथी ने पंचायत प्रस्ताव स. -----दिनांक-----के
 विषयानुसार रु.-----पंचायत रसीद नं.-----दिनांक-----के
 द्वारा जमा करा दिए हैं। प्राथी को पुश्तैनी पट्टा बनाकर जारी
 करने का प्रस्ताव सदन द्वारा विचार विमर्श बाद सर्व सहमति
 से पारित किया गया है।

पट्टा नं. -----दिनांक-----को
 जारी किया गया मिसल फाईल की जाते।

निरिक्षण रिपोर्ट पंचगण

राजरस्थान पंचायत-एक्ट के अधीन आबादी भूमियो के विक्रय सम्बन्धी, नियमानुसार

ग्राम पंचायत पंचायत समिति द्वारा बिक्री की जाने वाली आबादी भूमि के सम्बन्ध में पंचगण द्वारा दी गई रिपोर्ट

हम पंचगण

ग्राम पंचायत आज दिनांक समय बजे दिन

के श्री पुत्र श्री जाति ग्राम के दिये हुए प्रार्थना पत्र तथा नक्शा जो कि मिसल में संलग्न है और प्राथी को चाही गई भूमि लाल रंग से दिखाई गई है और उस नक्शे के नीचे भूमि का क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई पर गजो फिटो में अंकित है जिसमें उनके व नक्शा नवीस के हस्ताक्षर भी मौजूद है इस भूमि के निरीक्षण करने की आज्ञा ता. को सरपंच साहिब ने ग्राम पंचायत की मीटिंग द्वारा हमें दी गई थी। हमनं बहुत सावधानी पूर्वक उक्त भूमि का निरीक्षण किया। इसकी बिक्री पंचायत को कर देना / नहीं करनी चाहिए क्योंकि एस भूमि के केता के अधिकार में जाने के नियम 37 के पैरा 5 (4) के अंस क,ख,ग,घ, का अंग खण्डित नहीं होता है। रिपोर्ट निरीक्षण हम पंचगण द्वारा सम्पादित की हुई पंचायत मीटिंग में उचित कार्यवाही करने हेतु श्रीमान सरपंच साहिब द्वारा दी जाकर पेश है।

(1) हस्ताक्षर या. नि. अ. पंच. (2) हस्ताक्षर या. नि. अ. पंच. (3) हस्ताक्षर या. नि. अ. पंच.

नोट :- यह रिपोर्ट हमारे द्वारा बतलाने पर सेक्रेटरी, पंचायत श्री..... ने अंकित की

तारीख.....

कार्यालय ग्राम पंचायत

आज दिनांक को उक्त रिपोर्ट पंचगण सहिब ने मेरे द्वारा पंचायत में प्रस्तुत होने हेतु पेश की गई। सेक्रेटरी पंचायत को आज्ञा दी जाती है कि वह आवेदक की चाही जाने वाली भूमि को नि. 37 प्रपत्र संख्या 6 द्वारा ग्राम निवासियों को सूचनार्थ चपरासी पंचायत द्वारा आम रास्ते पर चस्पा करादे और उसकी एक नकल दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर जिनके सामने दपरोक्त प्रपत्र चस्पा किया है मिसल में नत्थी करले और यदि दी गई मुह्रत में कोई उज्रदारी पेश हो तो उज्रदारी की तारीख मीटिंग पंचायत से सूचित करके मिसल पंचायत में वैधानिक कार्यवाही के लिए पेश करें।

हस्ताक्षर

महोदय,

आज्ञानुसार आज तारीख की मुश्तरी पत्र जारी किया गया।

दिनांक.....

हस्ताक्षर सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत पं. स. जिला - जोधपुर

मोका - रिपोर्ट

श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
जाति निवासी जिला - जोधपुर
पुत्री/पत्नि श्री जाति निवासी
तहसील जिला के मकान/प्लोट का मोका निरीक्षण किया गया। प्राथी का
मकान/प्लोट ग्राम के मौहल्ला में आया
हुआ है। जो निम्न पाड़ोसियान के बीच है -

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. उत्तर | - | फुट |
| 2. दक्षिण | - | फुट |
| 3. पूर्व | - | फुट |
| 4. पश्चिम | - | फुट |

उपरोक्त पाड़ोसियान व नाप का मकान/प्लोट एनका पुश्तैनी कब्जासुदा है। जो ग्रामवासियों से जानकारी करने पर बताया कि एस मकान पर इनका वर्षों से कब्जा है। मौके पर प्राथी का ही कब्जा है। एससे गब्जा साबित होता है।

प्राथी इस मकान का पट्टा बनाना चाहता है। अधिनियम 1996 नियम 157 के तहत पुराने कब्जासुदा पुश्तैनी मकान/प्लोट का पट्टा बनाना चाहता है।

अतः पट्टा ग्राम पंचायत बनाकर देवे तो मौके पर किसी का कोई ऐतराज आया/नहीं आया है। मोका रिपोर्ट पेश है।

पडोसी द्वारा बयान फार्म

मै श्री पुत्र श्री जाती गाँव तहसील
..... जिला यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. श्री पुत्र श्री से पुश्तैनी आबादी भूमि के विनियम का आवेदन दिया है मेरी ओर से दावा सही है।
 2. मेरे जानकारी में इनका पुश्तैनी हिस्सा इनके कब्जे में मौके पर सही है।
 3. इनके परिवार में भाईवंट का कोई विवाद नहीं है तथा इन्होंने किसी भाई/चचेरे भाई या अन्य परिजन का हिस्सा नहीं दबाया हुआ है।
 4. हमारे इनके बीच कोई जमीन का विवाद नहीं है। इनके प्लोट की सीमा से मे सहमत हूँ।
 5. ये वर्षों से यहाँ पर काबिज है।
 6. इनको पट्टा दिये जाने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
- उपरोक्त बयान मैंने पुरे होश हवास से बिना नशे पते के भली भांति सोच समझकर दिये है तथा सहमति के रूप में हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

पडोसी द्वारा बयान फार्म

मै श्री पुत्र श्री जाती गाँव तहसील
..... जिला यह शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :-

7. श्री पुत्र श्री से पुश्तैनी आबादी भूमि के विनियम का आवेदन दिया है मेरी ओर से दावा सही है।
 8. मेरे जानकारी में इनका पुश्तैनी हिस्सा इनके कब्जे में मौके पर सही है।
 9. इनके परिवार में भाईवंट का कोई विवाद नहीं है तथा इन्होंने किसी भाई/चचेरे भाई या अन्य परिजन का हिस्सा नहीं दबाया हुआ है।
 10. हमारे इनके बीच कोई जमीन का विवाद नहीं है। इनके प्लोट की सीमा से मे सहमत हूँ।
 11. ये वर्षों से यहाँ पर काबिज है।
 12. इनको पट्टा दिये जाने पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है।
- उपरोक्त बयान मैंने पुरे होश हवास से बिना नशे पते के भली भांति सोच समझकर दिये है तथा सहमति के रूप में हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

बयान फार्म

कार्यालय तहसील जिला.....
तारीख..... व मुकदमा नं. सन.....
सोगा

में शपत्र पूर्वक सत्य सम्पूर्ण और शुद्ध सत्य कहूँगा। ईश्वर मेरी सहायता करे।

नाम..... पुत्र..... जाति.....
व्यवसाय..... निवासी.....

प्रार्थी श्री पुत्र श्री.....

जाति निवासी..... ने पट्टा हेतु जो आवेदन
किया है जौ पूर्णत जायज है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा..... वर्षों से है जिसे
मैं वर्षों से देखता व सुनता आ रहा हूँ। इस भूमि पर किसी दुसरे का कोई हक नहीं है।
प्रार्थी को पट्टा दिया जाने पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

उक्त बयान मैंने अपनी मर्जी से व बिना किसी दबाव में दिये है।

- उत्तर -
- दक्षिण -
- पुर्व -
- पश्चिम -

प्रमाणित

बयानकर्ता के हस्ताक्षर

बयान फार्म

बयान फार्म व इजलास ग्राम पंचायत न्याय उप-समिति पंचायत समिति
तहसील - जिला दिनांक

बयान गवाह फरियादी मुलजिम मुदायलो.....
पिता का नाम जाति..... साकिन.....

ने हलफ दिया व सवाल रा. पं. रा. अधिनियम, 1996 के नियम 157ख में पुश्तैनी कब्जा सुदा
मकान/ प्लोट श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... जाति.....
.....ग्राम पोस्ट की आबादरी क्षेत्र 20 वर्षों से निवास कर रहे है।

इन्होंने अपने भाइयो का बटवारा कर दिया है। इन्होंने अपने पड़ोसी का किसी प्रकार का
हक हिस्सा नहीं दबाया है और एस भूखण्ड पर किसी प्रकार का विवाद नहीं चल रहा है।
इन्होंने अपने पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा बनाया जाता है तो
हमे किसी प्रकार की आपत्ति/ एतराज नहीं है। यह बयान हमने बिना किसी नशे पते, नही
कोई जोर दबाव, होश हवास में दिया है जो सनद रहे। वक्त जरूरत काम आवे।

आबादी भूमि :-

आपेक्ष आमत्रित करने का नोटिस

प्रारूप 22(नियम 145 देखिए)

पंचायत

पंचायत समिति -

जिला परिषद् -

नोटिस

सं.

दिनांक :-

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि श्री.....पुत्र/पुत्री.....
निवासी.....ने इस पंचायत में बर्णित भूमि का कय करने के लिए आवेदन किया है :-

(भूमि का विवरण)

उत्तर -

दक्षिण -

पुर्व -

पश्चिम -

यदि किसी को भी यदि किसी को भी ऊपर उल्लिखित के विकय पर कोई आपेक्ष हो तो उसकी तारीख से एक मास के भीतर अपने फाईल कर देने चाहिए।

पंचायत की मोहर

सरपंच हस्ताक्षर